न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बईजलास श्री लहरी कुमार जैन (आर .ए.एस)

मिसलनंबर 397 / 14 निर्णय दिनाक 11.02.2017

बउनवान

1. रामदयाल पुत्र कालूलाल।
2. दीनदयाल पुत्र कालूलाल।
3. सूरजाबाई पुत्री कालूलाल जातियान मेहर निवासीगण कुराड तहसील कनवास जिला कोटा।

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर टी एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय दिंनाक

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम कुराड तहसील सांगोद में खाता संख्या 414 के खसरा नंबर 282 की रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 283 की रकबा 5.79 है0, किता 02 की कुल रकबा 5.80 है0, आराजी स्थित है।उक्त वर्णित आराजी वक्त रिजम्पशन ऑफ माफी जागीरी एक्ट वादीगण के पूर्व खातेदार रामनाथी के पिता मेदा के शांति पूर्वक कब्जे में थी, तथा उक्त एक्ट प्रभाव में आने से पूर्व खातेदार उक्त आराजी का खातेदार कृषक बन गया, परन्तु पूर्व खातेदार मेदा के नाम के साथ खाते मे रिज्यूम शब्द जोड दिया, तथा पूर्व खातेदार मृतक मेदा की मृत्यु के बाद उसकी एक मात्र पुत्री रामनाथी के खाते आराजी दर्ज कर दी गई, परन्तु फिर भी उक्त आराजी में दर्ज रिज्यूम शब्द आज तक नंही हटाया गया है, तथा रामनाथी की मृत्यु के बाद उसके वारिसान वादीगण के खाते आराजी दर्ज कर दी गई, परन्तु फिर भी आराजी मे रिज्यूम शब्द आज तक नंही हटाया गया है, तथा रामनाथी की मृत्यु के बाद उसके वारिसान वादीगण के खाते आराजी दर्ज कर दी गई, परन्तु फिर भी आराजी सेरिज्यूम शब्द नंही हटाया गया, जिससे वादीगण को आराजी पर ऋण आदि लेने में काफी परेशानी उठानी पड रही है, जिससे वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है, कि वह वादीगण के खाते मे इन्द्राज दुरूस्ती करवाकर रिज्यूम शब्द हटवावें।वादी रिजम्पशन ऑफ माफी एवंजागीर एक्ट प्रभाव मे आने के बाद जो भूमि रिज्यूम हो चुकी है, उसके कब्जेदार कानूनन खातेदार कृषक हो गये है, तथा उक्त खातेदार का नाम काश्तकार की हैसियत से दर्ज किया जाना चाहिए था, वादीगण के नाम के साथ रिज्यूम शब्द दर्ज किये जाने का कोई आशय नंही है, ऐसी स्थिति में वादीगण उक्त शब्द हटवाकर अपने खाते को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।
अतः वादी को माल ग्राम कुराड उपतहसील कनवास तहसील सांगोद जिला कोटा की खाता संख्या नई 414 कुल किता 02 की कुल रकबा 5.80 है0, वाद पत्र की मद नंबर 02 में दर्ज आराजी के

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

खाते से वादीगण के नाम के साथ दर्जकर रखा रिज्यूम शब्द हटाया जाकर राजस्व रेकार्ड की दुरस्ती किये जाने के आदेश फरमावें।

दावा दर्जरजिस्टर कर प्रतिवादी की तलवी की गई।प्रतिवादी ने उपस्थित होकरदिनाक 11.01.2017 जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्पूर्ण राजस्थान मे जागीरदारी उन्मूल्न अधिनियम के प्रभावशील होने के बाद खाते से माफी शब्द हटाकर सेवादारों को खुद काश्तकार मानकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं।रिज्यूम शब्द खाते से हटाने में आपत्ति नंही है।

लोक अदालत में प्रस्तुत प्रकरण में हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। बहस के दौरान वकील वादी ने हमारे ध्यान प्रस्तुत उद्वरण आर आर डी 1985 पेज संख्या 298–303 सरकार बनाम हरकलाल एवंआरबीजे (13) 2006 पेज संख्या 190–192 माननीय राजस्थान उच्चन्यायालय जयपुर सरवनजीत बनाम सरकार व अन्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर या जिसमें माफी के 01.07. 1963 के पुर्नग्रहण होने पर राजसरकार भूमिधारक के स्थान पर और विपक्षी गणको धारा 13 आरटी एक्ट तथा धारा 9 एवं 10 जागीर एक्ट के अनुसार सही दर्ज कियागया। एवं धारा 193 आरटी एक्ट 1955 पेश की।राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक/एफ.2(682)Rev./B/62 date 05/06/65 and date 11/03/66 व अधिसूचना दिनाक 10.05.66 से तथा आरटी एक्ट की धारा 193 अनुसार ग्राम के सेवादारों यथा माफीचौकीदारी माफी ग्राम बलाई आदि उसकी अनुदानभूमिका खातेदार आसामी हो गया है। अतः लोकअदालत की भावना से पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड एवं पेरोकार सरकार के जवाब तथा प्रस्तुत उद्वरण का अवलोकन करने के उपरान्त हम निष्कर्ष पर पहुंचते है कि वाद पत्र में अंकित आराजी माल ग्राम कुराड वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम कुराड तहसील सांगोद में खाता संख्या 414 के खसरा नंबर 282 की रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 283 की रकबा 5.79 है0, किता 02 की कुल रकबा 5.80 है0, वादी को खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड से वादी के नाम के आगे दर्ज रिज्यूम शब्द हटाये जाना उचित समझते हैं।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिये जाते हैं कि माल ग्राम कुराड वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम कुराड तहसील सांगोद में खाता संख्या 414 के खसरा नंबर 282 की रकबा 0.01 है0, खसरानंबर 283 की रकबा 5.79 है0, किता 02 की कुलरकबा 5.80 है0आराजी का वादी को खातेदार घोषित कियाजाता है तथा राजस्व रिकार्ड से वाद के नाम के आगे दर्ज रिज्यूम शब्द हटाया जावे।तदानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आजदिंनाक 11.02.2017 को खुलेन्यायालय मेंसुनायागया।

उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज0)

लहरीकुमारजैन

उपखण्ड अधिकारी कनवास

उक्त आराजी का खातेदार क्राक बन गये।

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तादाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय बइजलास लहरी कुमार जैन **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज.)

1.रामदयाल पुत्र कालूलाल।

2. दीनदयाल पुत्र कालूलाल।
3. सूरजाबाई पुत्री कालूलाल जातियान मेहर निवासीगण कुराड तहसील कनवास।

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय, तहसील कनवास जिला कोटा।

प्रतिवादी

वाद बास्ते अन्तर्गतधारा 88,89

मुकदमा नं. 397/14 सन 2014 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी की ओर से एडवाकेट श्री रेवती रमण नागर मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी पेरोकार सरकार स्वंय उपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि वादग्रस्त आराजी माल ग्राम माल ग्राम कुराड वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम कुराड तहसील सांगोद में खाता संख्या 414 के खसरा नंबर 282 की रकबा 0.01 है0, खसरानंबर 283 की रकबा 5.79 है0, किता 02 की कुलरकबा 5.80 है0आराजी का वादी को खातेदार घोषित कियाजाता है तथा राजस्व रिकार्ड से वाद के नाम के आगे दर्ज रिज्यूम शब्द हटाया जावे । तदानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह फरवरी सन 2017 को जारी की गई।

मोहर ....

(कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा))

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै
स्टाम्प अर्जीदावा .... स्टाम्प वकालतनामा .... स्टाम्प वजह सबूत .... महनताना वकील .... खर्चा गवाहान .... फीस कमिश्नर .... बाबत इजराय हुकमनामा .... मुतफर्रिक .... मीजान	--------NIL--------		स्टाम्प वकालतनामा .... स्टाम्प अर्जी .... महनताना वकील .... खर्चा गवाहान .... फीस कमिश्नर .... बाबत इजराय हुकमनामा .... मुतफर्रिक .... मीजान	--------NIL--------	

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

श्री लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)